

[प्राधिकृत अनुवाद]

## हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या 13 एच०एल०ए०

### हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक, 2025

हरियाणा राज्य में बागवानी पौधशालाओं के पंजीकरण

और विनियमन तथा इससे सम्बन्धित और इससे

आनुषंगिक मामलों के लिए

उपबन्ध करने हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के छिह्नतरवे वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा बागवानी पौधशाला अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।  
संक्षिप्त नाम,  
विस्तार तथा  
प्रारम्भ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।  
(3) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —  
परिभाषाएँ।
- (क) “अपील प्राधिकारी” से अभिप्राय है, अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग या उस द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो विशेष सचिव की पदवी से नीचे का न हो;
- (ख) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी;
- (ग) “निर्यात” से अभिप्राय है, भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से राज्य के बाहर या भारत के बाहर बागवानी पौधे या पौध सामग्री को ले जाना;
- (घ) “फलीय पौधा” से अभिप्राय है, कोई पौधा, जो खाद्य फल या नट्स पैदा कर सकता है और इसमें ऐसे पौधों की कली, पौद, उपरोपण, बीज तथा कलमें भी शामिल हैं;
- (ड) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
- (च) “बागवानी पौधशाला” से अभिप्राय है, कोई ऐसा स्थान, जहां कारबार के नियमित क्रम में बागवानी पौधों और पौध सामग्री के प्रतिरोपण के लिए विक्रय किया जाता है;
- (छ) “बागवानी पौधा” से अभिप्राय है, फलों, सब्जियों, कंदों, मसालों, रुचिकर-सामग्री (कॉंडिसेन्ट्स), फूलों, सजावटी, औषधीय और सुगंधिमयी फसलों के किसी भी प्रवर्ग से सम्बन्धित कोई पौधा या ऐसा अन्य पौधा, जिसे सरकार, अधिसूचना द्वारा बागवानी पौधे के रूप में घोषित करे;

- (ज) "आयात" से अभिप्राय है, बागवानी पौधों या पौध सामग्री को आगे प्रवर्धन के लिए राज्य के बाहर से या अन्य देशों से लाना;
- (झ) "निरीक्षण अधिकारी" से अभिप्राय है, बागवानी पौधशाला के निरीक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत बागवानी विभाग का कोई अधिकारी;
- (ञ) "किस्म" से अभिप्राय है, फसली पौधों की एक या एक से अधिक सम्बन्धित प्रजातियां या उप-प्रजातियां, जो प्रत्येक एकल रूप में या संयुक्त रूप में एक सामूहिक नाम से जानी जाती हैं, जैसे आम, टमाटर, गुलाब, नारियल इत्यादि;
- (ट) "सजावटी पौधे" से अभिप्राय है, बगीचों, प्राकृतिक छटा और भीतरी जगहों के सौंदर्य के आकर्षण को बढ़ाने के लिए सजावट के प्रयोजनों हेतु उगाया जाने वाला पौधा;
- (ठ) "स्वामी" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, जो किसी बागवानी पौधशाला का स्वामी है और जिसका बागवानी पौधशाला के मामलों पर नियंत्रण है और इसमें राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/बोर्ड/निगम/स्वायत्त निकायों के स्वामित्व वाली बागवानी पौधशाला के प्रभारी के रूप में पदाभिहित व्यक्ति भी शामिल है;
- (ड) "पौध सामग्री" से अभिप्राय है, बागवानी पौधे को उगाने में प्रयुक्त कोई बागवानी पौधा या प्रवर्धन सामग्री और इसमें कली, सांकुर शाखा, मूलवृत्त, बीज, कलमें, प्रकंद, शल्क—कंद, सकर, रनर भी शामिल हैं;
- (ढ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
- (ण) "निजी क्षेत्र उपक्रिम" से अभिप्राय है और इसमें शामिल हैं, निजी बीज कम्पनियों द्वारा विकसित, अनुरक्षित और विपणन की गई पौधों की उपक्रिमें;
- (त) "सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रिम" से अभिप्राय है और इसमें शामिल हैं, सरकारी संस्थाओं जैसे राज्य बागवानी विश्वविद्यालय/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा किफायती कीमतों पर सार्वजनिक लाभ के लिए विकसित, अनुरक्षित और वितरित पौधों की उपक्रिमें;
- (थ) "मूलवृत्त" से अभिप्राय है, कोई बागवानी पौधा या उसका भाग, जिस पर कोई बागवानी पौधा उपरोपित किया गया हो या अंकुरित किया गया हो;
- (द) "सांकुर शाखा" से अभिप्राय है, बागवानी पौधे का कोई भाग, जिसे मूलवृत्त पर उपरोपित किया जाता है या अंकुरित किया जाता है;
- (ध) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;
- (न) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;
- (प) "अज्ञात वंशावली" से अभिप्राय है और इसमें शामिल है, पौधे की उपक्रिम, जिसकी वंश परम्परा, आनुवंशिक वंश या व्युत्पत्ति का कोई लिखित प्रमाण नहीं है, वर्णन नहीं है या आधिकारिक रूप से अभिलिखित नहीं है;

(फ) "उपकिरम" से अभिप्राय है, वृद्धि, उपज, पौधे, फल, बीज या अन्य विशेषताओं द्वारा पहचानी जाने वाली किसी किरम का उप-विभाजन।

3. सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकती है, जो अपर निदेशक की पदबी से नीचे का न हो।

सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति।

4. बागवानी पौधशाला का कोई भी स्वामी, सिवाय इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन इस प्रयोजन के लिए विहित मानकों और सक्षम प्राधिकारी से उस द्वारा प्राप्त अनुज्ञाप्ति के अधीन और के अनुसार, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से छह मास की समाप्ति के बाद या ऐसी तिथि, जिसको वह ऐसी पौधशाला का स्वामी बना है, जो भी बाद में हो, से कारबाह का संचालन नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा:

स्वामी द्वारा बागवानी पौधशाला के पंजीकरण के लिए अनुज्ञाप्ति प्राप्त करना।

परन्तु जहां कोई स्वामी चाहे उसी जिला या गांव में या भिन्न-भिन्न जिलों या गांवों में उसी नाम से या अन्य नाम से एक से अधिक बागवानी पौधशालाएं रखता है, तो उसे प्रत्येक ऐसी पौधशाला के सम्बन्ध में पृथक् अनुज्ञाप्ति प्राप्त करनी होगी।

5. (1) अनुज्ञाप्ति प्रदान करने का इच्छुक कोई स्वामी, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के साथ सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा:

अनुज्ञाप्ति प्रदान करने या इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन।

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य या केन्द्रीय सरकार के निगमित निकायों के स्वामित्व वाली बागवानी पौधशाला को अनुज्ञाप्ति फीस या नवीनीकरण फीस से छूट प्राप्त होगी।

(2) नई अनुज्ञाप्ति प्रदान करने या अनुज्ञाप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन की दशा में, सक्षम प्राधिकारी, निरीक्षण अधिकारी को बागवानी पौधशाला का निरीक्षण करने के लिए निदेश देगा और ऐसे प्ररूप तथा रीति, जो विहित की जाए, में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी, निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट से संतुष्ट होने पर, आवेदक को अनुज्ञाप्ति प्रदान करेगा।

(4) यदि सक्षम प्राधिकारी, निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, तो वह आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के बाद और कारणों को अभिलिखित करने के बाद, यथास्थिति, अनुज्ञाप्ति प्रदान करने से मना कर सकता है या नवीनीकरण कर सकता है और आवेदक को मना करने के अपने आदेश की एक प्रति आवेदक को दे सकता है।

(5) इस धारा के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञाप्ति, ऐसे प्ररूप में होगी, जो विहित किया जाए और इसके जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और ऐसी फीस के साथ ऐसे रीति, जो विहित की जाए, में पांच वर्ष की ऐसी और अनधिक अवधि के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नवीकृत की जाएगी।

6. स्वामी को उसकी पसंद के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की उपकिरमों और किस्मों का विक्रय करने हेतु अनुमति किया जाएगा:

विक्रय हेतु अनुमति।

परन्तु फलीय पौधे का स्वामी केवल धारा 13 की उप-धारा (1) तथा (2) में यथा उपबन्धित उसकी उपकिरमों और किस्मों का विक्रय करेगा।

अनुज्ञाप्ति के रद्दकरण या निलम्बन या बागवानी पौधों और पौध सामग्री को नष्ट करने की शक्ति।

7. (1) सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित किसी भी आधार पर इस अधिनियम के अधीन स्वामी को प्रदत्त या नवीकृत किसी अनुज्ञाप्ति को निलम्बित कर सकता है अथवा रद्द कर सकता है, अर्थात् :—

- (क) यदि उसने बागवानी पौधशाला पर पूर्णतः या भागतः अपना नियन्त्रण छोड़ दिया है अथवा ऐसी बागवानी पौधशाला का अन्यथा से रख-रखाव या संचालन करना बन्द कर दिया है;
- (ख) यदि वह, युक्तियुक्त कारण के बिना, अनुज्ञाप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों या सक्षम प्राधिकारी के किसी निदेश की अनुपालना करने में असफल हो गया है अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबन्ध की उल्लंघना करता है;
- (ग) यदि उसने दीवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने लिए के आवेदन किया है या दीवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है;
- (घ) यदि वह ऐसी बागवानी पौधशाला का रख-रखाव या संचालन करने में असक्षम हो गया है;
- (ङ) यदि उसने अपनी अनुज्ञाप्ति का अभ्यर्णण या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित रजिस्टरों या अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने से मना कर दिया है;
- (च) किसी अन्य आधार पर, जो विहित किया जाएः

परन्तु इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्ति के निलम्बन या रद्दकरण की दशा में, स्वामी किसी मुआवजे और उस द्वारा भुगतान की गई फीस के प्रतिदाय के लिए हकदार नहीं होगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञाप्ति के सम्बन्ध में रद्दकरण आदेश पारित होने तक अनुज्ञाप्ति को निलम्बित कर सकता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी, स्वामी को वे आधार सूचित करेगा जिन पर उस द्वारा कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है और आगे ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी या उस द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, बागवानी पौधों या पौध सामग्री को पूर्णतः या भागतः नष्ट कर सकता है, यदि यह अज्ञात वंशावली की पाई जाती है या पीड़कों और रोगों से संक्रमित पाई जाती है। पारंदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु और उचित अभिलेख बनाए रखने हेतु पहचानने और नष्ट करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण विडियोग्राफी के माध्यम से किया जाएगा।

(5) उप-धारा (1) या (2) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति, स्वामी को संसूचित की जाएगी और यदि स्वामी उसे प्राप्त करने से इनकार करता है या टालता है, तो आदेश की प्रति बागवानी पौधशाला के सहजदृश्य स्थान पर चिपकाई जाएगी और इसे संसूचित किया गया समझा जाएगा।

**8.** (1) किसी अनुज्ञाप्ति में विनिर्दिष्ट वैधता की अवधि की समाप्ति पर या अनुज्ञाप्ति के निलंबन या रद्दकरण के किसी आदेश की प्राप्ति पर, स्वामी, सक्षम प्राधिकारी को अनुज्ञाप्ति का अभ्यर्थन करेगा, बशर्ते सक्षम प्राधिकारी, ऐसी अनुज्ञाप्ति की प्राप्ति के बाद और स्वामी के आवेदन पर, उसे अपनी बागवानी पौधशाला को बंद करने हेतु या अन्यथा से उसे समर्थ बनाने के लिए युक्तियुक्त समय दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।

अनुज्ञाप्ति का अभ्यर्थन।

(2) यदि स्वामी नियत अवधि के भीतर बंद नहीं करता है, तो धारा 16 के अधीन यथा उपबन्धित शास्ति के अतिरिक्त निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्वामी की लागत पर बागवानी पौधशाला और पौध सामग्री नष्ट की जाएगी।

**9.** यदि किसी स्वामी को प्रदान की गई अनुज्ञाप्ति गुम हो जाती है, नष्ट हो जाती है, विकृत हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी, आवेदन करने पर और ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के भुगतान पर, प्रतिलिपि अनुज्ञाप्ति जारी करेगा।

प्रतिलिपि अनुज्ञाप्ति जारी करना।

**10.** (1) धारा 5 या 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, अपील प्राधिकारी को अपील दायर कर सकता है:

अपील।

परन्तु अपील प्राधिकारी विहित अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण द्वारा रोका गया था।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर, अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह उचित समझे।

(3) इस धारा के अधीन पारित कोई आदेश अन्तिम होगा।

**11.** स्वामी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात्:-

स्वामी के कर्तव्य।

- (क) ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में रजिस्टर बनाए रखना और सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए रिकार्ड प्रस्तुत करना;
- (ख) बागवानी पौधशाला में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रत्येक बागवानी पौधे और पौध सामग्री के लिए दर प्रदर्शित करना;
- (ग) ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में बिल बुक बनाए रखना;
- (घ) फलीय पौधे के मामले में कम से कम दस वर्ष के लिए और बागवानी पौधे और पौध सामग्री के मामले में दो वर्ष के लिए रजिस्टर तथा अन्य रिकार्ड बनाए रखना;
- (ङ) बागवानी पौधशाला मिट्टी, पौध सामग्री और बागवानी पौधे को पीड़क और रोग से मुक्त रखना;
- (च) ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में पौधा संरक्षण उपायों के ब्यौरे देते हुए रजिस्टर बनाए रखना;
- (छ) ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में रिकार्ड बनाए रखना।

फलीय पौधों के स्वामी के कर्तव्य।

**12.** धारा 11 में यथा उपबंधित कर्तव्यों के अतिरिक्त, फलीय पौधे के स्वामी के निम्नलिखित कर्तव्य भी होंगे, अर्थात्:-

- (क) अनुज्ञाप्ति में यथा विनिर्दिष्ट फलीय पौधे की केवल ऐसी उपक्रिस्मों का कारबार या प्रवर्धन करना;
- (ख) निम्नलिखित को दर्शाते हुए ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में प्रत्येक मूलवृत्त और सांकुर शाखा की उत्पत्ति और स्रोत का सम्पूर्ण रिकार्ड रखना—
  - (i) प्रयुक्त मूलवृत्त का स्थानीय नाम, यदि कोई हो, के साथ वानस्पतिक नाम;
  - (ii) प्रयुक्त सांकुर शाखा का स्थानीय नाम, यदि कोई हो, के साथ वानस्पतिक नाम;
  - (iii) हरे रंग की पृष्ठ भूमि और सफेद लेबलिंग के साथ स्थानीय भाषा में बागवानी पौधशाला के सहजदृश्य स्थान पर डिस्प्ले बोर्ड पर पौधों के भण्डार की स्थिति और मूल ढाँचा;
- (ग) फलीय पौधे के प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त फलीय पौधे के साथ-साथ पौध सामग्री को पीड़क और रोगों से मुक्त रखना और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, भारत सरकार/राज्य बागवानी विश्वविद्यालयों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/बागवानी विभाग, हरियाणा द्वारा यथा विनिर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना;
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि विक्रय के लिए आशयित फलीय पौधों पर फलीय पौधे की उपक्रिस्म का नाम, इसकी आयु, स्रोत और मूलवृत्त का नाम दर्शाते हुए सुस्पष्ट लेबल/जल प्रतिरोधी क्यू आर कोड होना चाहिए;
- (ङ) बागवानी पौधशाला में उपलब्ध पौध सामग्री और फलीय पौधों, जो प्रवर्धित या आयात किए गए हैं, का रिकार्ड बनाए रखना;
- (च) जब कभी कोई नई उपक्रिस्म जोड़ी जानी है, तो सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना;
- (छ) यह सुनिश्चित करना कि पौध सामग्री और फलीय पौधा युक्त प्रत्येक पैकेज या पात्र पर विक्रय की गई उपक्रिस्म को दर्शाने के लिए स्पष्ट रूप से लेबल किया जाता है और/या क्यू आर कोड लगाया जाता है।

प्रवर्धन के लिए उपयोग की जाने वाली पौध सामग्री।

**13.** (1) फलीय पौधे के मामले में, स्वामी राज्य बागवानी विश्वविद्यालय/ राज्य कृषि विश्वविद्यालय/भारत सरकार/बागवानी विभाग, हरियाणा द्वारा यथा अनुमोदित सांकुर शाखा और मूलवृत्तों की उपक्रिस्मों का प्रयोग करेगा।

(2) यदि स्वामी देश के बाहर उत्पादित फलीय पौधे की सांकुर शाखा और मूलवृत्त की आयातित उपक्रिस्म का प्रयोग करता है, तब उसके साथ आयात परमिट, पादपस्वच्छता प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा तथा प्रवेश के पश्चात उसे संगरोधन से गुजरना होगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी या उस द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति पौध सामग्री की किसी किस्म को उपयोग के लिए अनुपयुक्त घोषित कर सकता है, यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि ऐसी पौध सामग्री का उपयोग निम्नलिखित कारणों से बागवानी के हित को प्रभावित करेगा, अर्थात्:-

- (क) बागवानी उत्पाद की घटिया गुणवत्ता;
- (ख) पौध सामग्री की घटिया उपज क्षमता;
- (ग) कीटों, पीड़कों और रोग, जिसका उपचार नहीं किया जा सकता, से संक्रमित;
- (घ) अज्ञात वंशावली का फलीय पौधा;
- (ङ) कोई अन्य कारण, जिन्हें बागवानी हित में उचित माना जा सकता है।

(4) यदि अन्य पौधशालाओं को कीटों, पीड़कों तथा रोगों के प्रसार का खतरा है, तो स्वामी सभी बागवानी पौधों और पौध सामग्री को संगरेखित करेगा तथा आगे प्रवर्धन के लिए उसका उपयोग और आपूर्ति नहीं करेगा तथा सक्षम प्राधिकारी ऐसे संक्रमित बागवानी पौधे और पौध सामग्री को नष्ट करने के लिए आदेश दे सकता है।

**14.** सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य के किसी भाग में उगाई जाने वाली या आयातित या निर्यातित अज्ञात वंशावली या किसी संक्रामक पीड़क या रोग से प्रभावित किसी बागवानी पौधे या पौध सामग्री को उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के प्रयोजन हैं, ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, विनियमित या निषेध कर सकती हैं।

सरकार की विनियमित और निषेध करने की शक्ति।

**15.** (1) सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति और निरीक्षण अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियां होंगी,-

प्रवेश तथा निरीक्षण करने की शक्ति।

- (क) बागवानी पौधशाला में प्रवेश करने, बागवानी पौधे और पौध सामग्री का निरीक्षण या जांच करने;
- (ख) ऐसी बागवानी पौधशाला से संबंधित किसी रिकार्ड, लेखा बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण का आदेश करने तथा ऐसे दस्तावेज का कोई उद्धरण लेना;
- (ग) बागवानी पौधशाला के मामलों से संबंधित किसी व्यक्ति की जांच करने।

(2) स्वामी और बागवानी पौधशाला के मामलों के संबंध में नियोजित सभी व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या निरीक्षण अधिकारी को ऐसे निरीक्षण तथा जांच के लिए यथा अपेक्षित सभी युक्तियुक्त पहुंच और सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे और उनके सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, बागवानी पौधशाला के संबंध में, यथा अपेक्षित उनके कब्जे में दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे तथा ऐसी अन्य सूचना देंगे।

दण्ड।

**16.** (1) जो कोई भी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी भी उपबन्ध की उल्लंघना करता है या किसी अधिकारी या व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त किसी भी शक्ति के प्रयोग में या अधिरोपित किसी भी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालता है, तो वह किसी प्रकार के कारावास, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या केवल एक लाख रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति, कोई कम्पनी है, तो कम्पनी के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय पर कम्पनी का प्रभारी था, और कम्पनी के कारबाह के संचालन के लिए इसके प्रति जिम्मेवार था, को अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा उप-धारा (1) के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के लिए दायी होगी/होगा:

परन्तु इस उप-धारा में दी गई कोई भी बात, किसी व्यक्ति को किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनाएगी, यदि वह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या कि उसने ऐसे अपराध को रोकने हेतु सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

(3) उप-धारा (2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से या की मौनानुकूलता, या के भाग पर किसी उपेक्षा के कारण किया गया है, तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा उप-धारा (1) के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा।

**व्याख्या—** इस धारा के प्रयोजनों हेतु—

- (क) “कम्पनी” से अभिप्राय है, कोई भी निगमित निकाय और इसमें कोई फर्म या व्यष्टि संगम भी शामिल है; तथा
- (ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में “निदेशक” उस फर्म में भागीदार है।

अपराध का संज्ञान।

**17.** कोई भी न्यायालय, सक्षम प्राधिकारी या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसे अपराध से सम्बन्धित तथ्यों की लिखित रिपोर्ट की प्राप्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा और विचारण नहीं करेगा।

मुआवजा।

**18.** (1) बागवानी पौधा और पौध सामग्री, जो स्वामी द्वारा बिल/बीजक में उल्लिखित अनुसार वास्तविक और उसी किस्म का नहीं पाया जाता है/नहीं पाई जाती है, तो इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन माना जाएगा और स्वामी, धारा 16 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा।

(2) उप-धारा (1) के अनुसरण में, स्वामी निम्नानुसार मुआवजा देने के लिए भी दायी होगा,—

- (i) सजावटी पौधे से भिन्न बागवानी पौधे के मामले में, खेती की लागत के बराबर या दोगुने तक;

- (ii) सजावटी पौधे के मामले में, सजावटी पौधे की खरीद की लागत का दोगुना:

परन्तु उक्त मुआवजा, इस प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के अध्यधीन होगा।

**19.** किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

न्यायालय की अधिकारिता।

**20.** इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी अधिकारी और इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग करने या अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 2 के खण्ड (28) के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझा जाएगा।

इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग करने वाले अधिकारियों और व्यक्तियों का लोक सेवक होना।

**21.** इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में या सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात या जारी किए गए आदेश के लिए सरकार या किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी बाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

**22.** (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समुख रखा जाएगा।

**23.** (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अनुसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति।

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के बाद, इस धारा के अधीन कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समुख रखा जाएगा।

**24.** (1) हरियाणा फल—पौधशालाएं अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 13), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

निरसन तथा व्यावर्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के समरूप उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा में बागवानी क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फल पौधशालाओं के लिए एक नियामक ढांचा हरियाणा फल पौधशाला अधिनियम, 1961 के रूप में उपलब्ध है। हालांकि, फल पौधशालाओं के अलावा अन्य बागवानी पौधशालाओं के लिए सुव्यवस्थित नियामक ढांचे के अभाव के कारण, निम्न गुणवत्ता एवं रोगग्रस्त पौध सामग्री का विक्रय किया जा रहा है, जिससे फसल उत्पादकता में कमी एवं किसानों और ग्राहकों को आर्थिक हानि हो रही है।

हरियाणा फल पौधशाला अधिनियम, 1961 की सीमित प्रयोज्यता है, क्योंकि इसमें सब्जियों, मसालों, रुचिकर-सामग्री (कॉलिमेन्ट्स), फूलों, सजावटी, औषधीय और सुगंधमयी फसलों से संबंधित बागवानी पौधशालाओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कमी के कारण, बिना किसी उत्तरदायित्व के अनधिकृत पौधशालाएं संचालित हो रही हैं, जिससे अज्ञात वंशावली की पौध सामग्री का प्रसार एवं बागवानी फसलों में कीटों तथा रोगों की वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिक पौधशाला प्रबंधन, गुणवत्ता सुनिश्चितता एवं विनियमन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है, ताकि किसानों को केवल प्रमाणित एवं उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री ही उपलब्ध हो।

अतः हरियाणा सरकार को यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि वर्तमान हरियाणा फल पौधशाला अधिनियम, 1961 को निरसित कर, राज्य में बागवानी पौधशालाओं के विनियमन हेतु एक व्यापक कानून लाया जाए। प्रस्तावित “हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक, 2025” निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए लाया जा रहा है:

1. हरियाणा राज्य में बागवानी पौधशालाओं के पंजीकरण एवं विनियमन हेतु प्रावधान करना।
2. यह सुनिश्चित करना कि बागवानी पौधशाला का स्वामी अधिनियम एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार पौधशाला का पंजीकरण कराए।
3. स्वामी को किसी भी श्रेणी के फलों, सब्जियों, मसालों, रुचिकर-सामग्री (कॉलिमेन्ट्स), फूलों, सजावटी, औषधीय और सुगंधमयी फसलों के लिए बागवानी पौधशाला का पंजीकरण कराने की अनुमति होगी।
4. स्वामी को अपनी पसंद के अनुसार बागवानी पौधों की उपकिस्में एवं किस्में बेचने की अनुमति होगी, जबकि फल पौधों की उपकिस्में अनुज्ञाप्ति में निर्दिष्ट की जाएंगी।
5. स्वामी एक से अधिक बागवानी पौधशालाएं रख सकता है, बशर्ते वह अलग-अलग अनुज्ञाप्ति प्राप्त करे।
6. सक्षम प्राधिकारी को अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्रदान या नवीनीकृत किसी भी अनुज्ञाप्ति को निलंबित या रद्द करने का अधिकार प्रदान करना।
7. बागवानी पौधशाला के स्वामी को निर्धारित प्रारूप एवं तरीके से अभिलेखों के रखरखाव हेतु बाध्य करना।
8. अज्ञात वंशावली या कीट एवं रोगग्रस्त बागवानी पौधे एवं पौध सामग्री के विक्रय एवं वितरण को विनियमित एवं प्रतिबंधित करना।

9. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंड का प्रावधान करना।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रस्तुत किया गया है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

श्याम सिंह राणा,  
कृषि मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :

दिनांक 20 मार्च, 2025.

डॉ. सतीश कुमार,  
सचिव।

**अवधेय:** उपर्युक्त विधेयक हरियाणा सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 20 मार्च, 2025 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

### विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित ज्ञापन

यह विधेयक राज्य सरकार, सरकार और सक्षम प्राधिकारी को विभिन्न धाराओं में शक्तियाँ प्रदान करता है, ताकि बागवानी पौधशालाओं से संबंधित सुचारू विनियमन, पंजीकरण, निरीक्षण और प्रवर्तन को सुनिश्चित किया जा सके।

धारा	प्रत्यायोजन का विषय	प्रत्यायोजित प्राधिकरण	प्रत्यायोजन का स्वरूप
धारा 3	सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति	सरकार	अधिनियम को लागू करने के लिए (अतिरिक्त निदेशक स्तर से नीचे न होने वाले) अधिकारी को नियुक्त करने की शक्ति।
धारा 7	अनुज्ञाप्ति के रद्दकरण या निलम्बन या बागवानी पौधे और पौध सामग्री को नष्ट करने की शक्ति	सक्षम प्राधिकारी	अधिनियम के उल्लंघन के आधार पर अनुज्ञाप्ति निलम्बित या रद्द करने की शक्ति।
धारा 10	अपील	अपीलीय प्राधिकारी	अनुज्ञाप्तियों निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने और आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति।
धारा 14	सरकार की विनियमित और निषेध करने की शक्ति	सरकार	कीटों, बीमारियों या अज्ञात वंशावली से प्रभावित बागवानी पौधों और रोपण सामग्री के आयात / निर्यात को विनियमित या प्रतिबंधित करने की शक्ति।
धारा 15	प्रवेश तथा निरीक्षण करने की शक्ति	सक्षम प्राधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति / निरीक्षण अधिकारी	पौधशालाओं का निरीक्षण करने, रिकॉर्ड सत्यापित करने और प्रवर्तन कार्रवाई करने की शक्ति।
धारा 16	दंड	सक्षम प्राधिकारी	अधिनियम के उल्लंघन के लिए 1,00,000/- रुपये तक का जुर्माना लगाने या एक वर्ष तक की कैद या दोनों देने की शक्ति।
धारा 18	मुआवजा	सक्षम प्राधिकारी	मुआवजे की राशि तय करने के लिए एक समिति गठित करने की शक्ति।
धारा 22	नियम बनाने की शक्ति	सरकार	अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचनाओं के माध्यम से नियम बनाने की शक्ति। अधिनियम के तहत बनाए गए हर नियम को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
धारा 23	कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति	सरकार	अधिनियम लागू होने के दो वर्षों के भीतर कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति।